

(24)

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/342

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री लक्ष्मी  
पिता उदा जाति बैरवा निवासी वीरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला  
है। प्रार्थी की जाति ग्राम वीरा पटवार मण्डल वीरा के खाता संख्या 525 में चमार  
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।  
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से  
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज  
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(लक्ष्मी)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री लक्ष्मी पिता उदा की  
ग्राम वीरा प.0म0 वीरा के खाता संख्या 525 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की  
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा  
करें।

पटवारी वीरा  
23-8-2022

92-8-2022  
मू0अ0नि0  
वृत्त वीरा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री लक्ष्मी पिता उदा की  
ग्राम वीरा प.0म0 वीरा के खाता संख्या 525 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की  
सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिपंशा के प्रार्थी  
श्री लक्ष्मी पिता उदा की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम वीरा  
प.0म0 वीरा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 525 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश  
दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

278/20  
24/06/22